उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार।

फार्म – अ

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में राजकीय कार्य करने हेतु वर्ष 2018–19 में वाहन किराये पर लिए जाने हेतु तकनीकी ई0 निविदा :–

1. एजेन्सी / फर्म का GST पंजीकरण संख्या.....
   (पंजीकरण प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय)
2. वाहनों का संभागीय / सहायक संभागीय कार्यालय में पंजीकरण संख्या : .....
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 3,540.00 (रु. तीन हजार पांच सौ चालीस)
   बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... दिनाँक ..... धनराशि रु. .....
   बैंक एवं बैंक शाखा का नाम .....
   जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में है।
4. धरोहर धनराशि रु. 20,000.00 (रु. बीस हजार) की एफ0डी0आर0 संख्या ..... दिनाँक .....
   बैंक एवं बैंक शाखा का नाम .....
   जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के नाम बन्धक हो। (एफ0डी0आर0 संलग्न की जाय)।
5. आयकर रिटर्न, गत 03 वर्ष का।
   (प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय)।
6. CA द्वारा जारी किया गया पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण–पत्र, जो गत 03 वर्ष में 50 लाख से कम न हो।
7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 03 शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय विभागों में ट्रैवल एजेन्सी से संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र। (प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांकः–५४९/व्यवस्था–ई0 निविदा/2018–19, दिनाँक 10 मई, 2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों को भली–भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान :–.....
दिनाँक :–.....

एजेन्सी / फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
प्रोपराइटर का नाम.....
एजेन्सी / फर्म का नाम.....
पूरा नाम.....
मोबाईल / फोन नम्बर.....

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरुकुल काँगडी, हरिद्वार।

फार्म – ब **वित्तीय ई0 निविदा**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में राजकीय कार्य करने हेतु वर्ष 2018–19 में डीजल वाहन किराये पर लिए जाने हेतु वित्तीय ई0 निविदा :–

क्र.सं.	वाहन का विवरण		दर रुपये (प्रतिमाह)	टैक्स रु.	प्रति माह दरें सभी टैक्स सहित
	वाहन का नाम	ईंधन की खपत किमी / लीटर			
1	Toyota Etios	15 किलोमीटर			
2	Swift Dezire	15 किलोमीटर			
3	Toyta Innova	10 किलोमीटर			
4	Ciaz Delta	18 किलोमीटर			
5	Maruti Suzuki Ertiga	18 किलोमीटर			
6	Bolaro	12 किलोमीटर			
7	Tata Hexa	10 किलोमीटर			
8	Tata Storme	10 किलोमीटर			

उपरोक्त दरों में ईधन व्यय सम्मिलित नहीं है। वाहन के लिए डीजल/ईंधन की आपूर्ति परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3805/प्रवर्तन/दो–48/2013, दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा निर्धारित माईलेज पर आधारित है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांकः–५४९/व्यवस्था–ई0 निविदा–वाहन/2018–19, दिनाँकः–१८ मई, 2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों को भली–भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान :–.....

दिनाँक :–.....

एजेन्सी/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रोपराइटर का नाम.....

एजेन्सी/फर्म का नाम.....

पूरा नाम.....

मोबाईल/फोन नम्बर.....

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरूकुल काँगडी, हरिद्वार।

पत्रांक :–489/व्यवस्था–ई0 निविदा–वाहन/2018–19, दिनाँक : 18मई, 2018

ई0 निविदा सूचना

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा राजकीय कार्य हेतु डीजल वाहन किराए पर उपलब्ध कराए जाने के लिए ट्रेवल्स एजेन्सी/फर्मो से ई0 निविदा के प्रपत्र जो कि स्कैन कर वेबसाइट पर लोड की जायेंगी तथा भौतिक रूप से पोस्ट/कार्यालय काउन्टर पर दिनांक 05.06.2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी। डाक में विलम्ब के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ई0 निविदाएँ उसी दिन 3.00 बजे अपरान्ह को निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उक्त तिथि एवं समय पर आयोग में उपस्थित रह सकते हैं।

ई0 निविदा की शर्तें:–

1. ई0 निविदा हेतु निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें आदि आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 3,000+540.00 (GST 18%) कुल धनराशि रु. 3,540.00 (रु. तीन हजार पांच सौ चालीस मात्र) का बैंकड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र की धनराशि Non-Refundable है।
2. ई0 निविदा प्रपत्र के साथ रु. 20,000 (रु. बीस हजार मात्र) की एफ0डी0आर0 धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष मे बंधक (Pledged) होनी चाहिए।
3. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का रु. 50 लाख तक के ट्रैवल्स एजेन्सी के कार्य करने का वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए, जिसकी पुष्टि में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म/एजेन्सी को ट्रैवल्स एजेन्सी कार्य का 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. निविदादाता फर्म/एजेन्सी के कम से कम 02 वाहन एजेन्सी अथवा प्रोपराइटर के नाम से पंजीकृत, जिसकी पुष्टि में वाहन के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रतिलिपियाँ संलग्न की जानी अनिवार्य है।
6. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट रूल नियमावली, 2017 के नियम–25 (क, ख, ग, घ, ड़) के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैं।

क– तकनीकी निविदायें, जिसमें व्यापारिक शर्तों और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हो।

ख– वित्तीय निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लिखित मदों के लिए मदवार मूल्य का उल्लेख होगा।

7. केवल उन्हीं निविदा दाताओं का वित्तीय निविदा स्वीकार्य होगी, जिन्होंने तकनीकी ई0 निविदा में सफलता प्राप्त की है तथा तकनीकी निविदा में सफल न होने पर वित्तीय निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
8. जिस फर्म/एजेन्सी की ई0 निविदा स्वीकृत होगी, उस फर्म/एजेन्सी की धरोहर राशि रु. 20,000 (रु. बीस हजार मात्र) जमानत स्वरूप आयोग कार्यालय में जमा रहेगी। अन्य की धरोहर राशि उनके ई0 निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापस कर दी जायेगी।
9. भुगतान की दशा में देय आयकर तथा अन्य कर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. तैनात वाहन चालकों द्वारा आयोग परिसर तथा at the time/during duty में धुमपान अथवा मादक द्रव्यों का सेवन करना पूर्णतयाः वर्जित है।
11. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 02 वर्ष (720 दिन) से अधिक पुरानी तथा 40,000 किलोमीटर से अधिक योजित वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
12. आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए फोम पैड एवं बिजली, फुटमैट आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी की होनी आवश्यक है।
13. वाहन के टायर, बैट्री, हेडलाईट बीम, ब्रैक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित, उत्कृष्ट एवं क्रियाशील होनी चाहिए। विभागीय आधिकारिक वाहन बनाने हेतु आवश्यक Modifications (यथा उत्तराखण्ड सरकार, वाहन धारित पद, Flag cover etc.) करना भी अपेक्षित है।
14. वाहन नियमानुसार संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की वर्दी (सफेद/ग्रे सफारी सूट, पी कैप), चालक लाईसेन्स आदि सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किये जायेंगे।
15. आपूर्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत यथालागू परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non Transport Vehicle) की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
16. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक, वाहन चलाने की दृष्टि से हष्ट–पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है। वाहन चालक को कम से कम 10 वर्ष का व्यवसायिक, वाहन चलाने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।
17. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदि हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस केस आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जाएगा। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वाहन चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की प्रति आयोग को देनी होगी।

18. वाहन के किसी ऐसे चालक जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, आपूर्तिकर्त्ता को ऐसे वाहनचालक को तत्काल हटाना होगा तथा आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल दूसरे चालक की व्यवस्था करनी होगी।
19. मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।
20. आपूर्तिकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Imprest cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।
21. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्त्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है, तो आयोग आपूर्तिकर्त्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
22. आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
23. आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
24. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
25. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुनर्ठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।
26. उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर आयोग द्वारा की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए, उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।
27. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।
28. वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire Extinguisher) भी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।
29. भुगतान की रीति

    (अ) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान आयोग द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा।

    (ब) आयकर नियमों के अनुसार आयोग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।
30. सेवा प्रदान करने में विलम्ब/व्यवधान (यथा चालक का न होना, वाहन की खराबी, अन्य कारणों) हेतु प्रतिदिन की समतुल्य भुगतान धनराशि की दर से कटौती की जाएगी। अनुबन्ध के निरस्तीकरण की कार्यवाही निम्नलिखित अवसरों पर, धरोहर राशि को जब्त करते हुए, कर दी जाएगी :–

    (अ) यदि आपूर्तिकर्त्ता समय पर निर्दिष्ट वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

    (ब) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है।
31. कर एवं अन्य देयकों का भुगतान

(अ) सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा की जाएगी।

(ब) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा की जाएगी।

32. स्वीकृत एजेन्सी/फर्म द्वारा वाहन पर तैनात किए गए चालक को दी जाने वाली विधिक सुविधाएँ नियमानुसार प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा विधिक देयकों का भुगतान समय पर संबंधित विभाग/संस्था को किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी/फर्म का होगा।

33. स्वीकृत एजेन्सी/फर्म द्वारा वाहन में तैनात किए गए कर्मियों के द्वारा यदि आयोग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है अथवा ऐसा कृत्य किया जाता है जो Civil wrong की श्रेणी में आता है तो उसके लिए एजेन्सी/फर्म भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।

34. एजेन्सी/फर्म द्वारा तैनात किए गए वाहन चालक की बीमारी एवं उसके साथ घटित कोई भी अप्रिय घटना हेतु आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।

35. आयोग द्वारा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। साथ ही एजेन्सी/फर्म द्वारा भी एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किए जाने हेतु आयोग को सूचित किया जा सकता है।

36. शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

37. ई0 निविदा स्वीकृत करने हेतु यदि किसी भी प्रकार का प्रभाव फर्म/एजेन्सी द्वारा डाला जाता है, तो उसे निविदा हेतु अयोग्य माना जायेगा।

38. निविदा दाता द्वारा श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम देय मजदूरी से कम का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा।

39. वाहन चालक यदि आयोग की गोपनीयता भंग करता है तो वाहन चालक तथा आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

40. किसी भी निविदि को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का होगा।

41. किसी भी विवाद की दशा में दोनों पक्षों की ओर से अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, सोल आरविट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

42. ई0 निविदा के साथ पंजीकृत एजेन्सी/फर्म के द्वारा निम्नानुसार प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

1. उत्तराखण्ड GST के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या .....
2. वाहनों का संभागीय/सहायक संभागीय कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
3. आयकर रिटर्न की प्रमाणित छाया प्रति।
4. CA द्वारा जारी किया गया पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण–पत्र, जो कि कम से कम रु. 50,00,000/– से कम न हो।

5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 03 शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय विभागों में ट्रैवल एजेन्सी से संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।
6. यह कि आपूर्तिकर्ता का आयोग की परिधि के 100 किलोमीटर के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में स्थित एक विधिवत कार्यालय स्थापित हो। (जहाँ आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सके)

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

1. प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिलिपि : अधोलिखित को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर चस्पा करने हेतु प्रेषित :–
    1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
    2. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
    3. आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
    4. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 को उक्त निविदा को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

18/5/18

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।